न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अलवर।

पीठासीन अधिकारी : विरेन्द्र कुमार जसूजा,
जिला जज संवर्ग

औद्योगिक विवाद प्रकरण सख्याः L C R No. 88/2018
(C.I.S. No. 92/2018)

श्रीपाल पुत्र बन्दर हरिजन, निवासी– ग्राम गोतोली, तहसील तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर एस पी 1–892–893, रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, पथरेड़ी, नियर चौपानकी, भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

...अप्रार्थी

" आदेश प्रार्थना–पत्र बाबत् क्षेत्राधिकार "

उपस्थित :–

1. श्री यशवन्त सिंह, अधिवक्ता–प्रतिनिधि प्रार्थी
2. श्री चन्द्रमोहन यादव, अधिवक्ता–प्रतिनिधि अप्रार्थी

– :: आदेश ::– दिनांक : 17.07.2026

1. अप्रार्थी मैसर्स श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी श्रमिक ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2-A (2) के तहत यह क्लेम प्रस्तुत किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को वर्ष 2010 में संशोधन संख्या 24 के द्वारा संशोधित किया गया है जो कि दिनांक 15.09.2010 से प्रभावी हुआ एवं धारा 2-A (2) अस्तित्व में आई। संशोधित अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार श्रमिक को यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि वह व्यक्तिगत औद्योगिक विवाद समझौता कार्यवाही के 45 दिन के बाद सीधे न्यायालय में पेश कर सके। इसी आधार पर प्रार्थी ने

यह क्लेम प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने निरसन व संशोधन अधिनियम, 2016 (The Repealing and Amending Act,2016) के द्वारा औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम, 2010 को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया है जो दिनांक 09.05.2016 से प्रभावी होता है। अधिनियम, 2016 के अनुसार औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम की धारा 2-A (2) भी समाप्त हो चुकी है। अतः प्रार्थी का उक्त धारा के तहत प्रस्तुत क्लेम शून्य प्रभावी हो गया है और न्यायालय के समक्ष वर्तमान लंबित क्लेम मान्य (Maintainable) नहीं रह गया है। जिस सम्बंध में माननीय त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा यह अधिनिर्णित किया गया है कि उक्त धारा 2-A(2) निरस्त हो जाने के बाद उक्त धारा के तहत लम्बित प्रकरण शून्य प्रभावी हो गए है तथा वर्तमान प्रकरण भी संशोधन अधिनियम की धारा 2 A (2) के तहत लम्बित है। इसलिए उक्त के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का यह क्लेम पूर्णतया शून्य प्रभावी हो गया है। इस बिन्दु पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के क्लेम पर निरस्त प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने की स्वीकृति प्रदान करने की स्थिति में वर्तमान प्रकरण में नियोजक अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अतः निरसन व संशोधन अधिनियम, 2016 (Repealing and Amending Act,2016) के द्वारा औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम, 2010 को पूर्ण रूप से निरस्त किए जाने के कारण प्रार्थी का क्लेम प्रारम्भ से अस्तित्वहीन व शून्य हो गया है इसलिए प्रार्थी का क्लेम निरस्त किया जावे।

2. प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना–पत्र के अधिकांश तथ्यों से इंकार करते हुए यह अभिकथित किया गया है कि प्रकरण साक्ष्य प्रार्थी की स्टेज पर है जिस कारण पोषणीयता पर अंतिम आदेश पारित करते समय विचार किया जा सकता है यदि कम्पनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है, तो प्रार्थी के द्वारा समझौता अधिकारी के समक्ष पूर्व में जो प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसे दाखिल दफ्तर करा लिया गया था, उसे पुनः रिओपन किए जाने की अनुमति श्रम न्यायालय द्वारा प्रदान की जावे जिससे प्रार्थी के मुकदमें को रैफरेन्स कराया जा सके। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

3. उभय पक्षकारान को सुना गया।

4. हस्तगत मामले में राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ कोई सक्षम अधिसूचना (Reference) प्रेषित नहीं की गयी है। प्रार्थी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-A(2) के प्रावधानों के तहत यह क्लेम इस न्यायालय में दिनांक 31.01.2017 को पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी ने अपनी सेवा मुक्ति की तिथि 17.09.2014 बतायी है। अप्रार्थी की ओर से इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह आपत्ति उठायी गयी है कि इस प्रकरण में न्यायालय को कोई अधिसूचना (Reference) प्रेषित नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-A(2) के तहत यह क्लेम पेश किया गया है। भारत सरकार का निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 दिनांक 09.05.2016 से प्रभावी हो चुका है और उसके द्वारा औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम, 2010 की धारा 2-A(2) भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का सीधा प्रस्तुत क्लेम शून्य प्रभावी हो गया है और न्यायालय के समक्ष लम्बित क्लेम मेन्टेनेबल नहीं रह गया है।

5. इस सम्बध में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-A(2) निम्न प्रकार हैः— Notwithstanding anything contained in section 10, any such workman as is specified in sub-section (1) may, make an application direct to the Labour court or Tribunal for adjudication of the dispute referred to there in after the expiry of forty-five days from the date he has made the applicaton to the dispute, and in receipt of such application the Labour court or Tribunal shall have powers and jurisdiction to adjudication upon the dispute, as if it where a dispute referred to it by the appropriate Government in accordance with the provision of this Act and all the provision of this Act shall apply in relation to such adjudications as they apply in relation to an industrial dispute refered to it by the appropriate Government.

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खण्डपीठ के समक्ष लंबित D.B. Special Appeal (Writ) No. 249/2023 Chief Manager, Rajasthan State Road Transport Corporation **Vs.** Madanlal Gurjar & Others, जिसमें समान विधिक प्रश्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

के समक्ष अंतरवर्लित था, में पारित आदेश दिनांक 08.05.2023 निम्न प्रकार हैः– Taking into consideraton the submission of learned consel for the applant that repeal of sub-section (2) of Section 2A of the industrial Disputes Act,1947 vide the Repealing and Amending Act,2016 has the effect of denuding the Labour court of Jurisdiction to entertain application of the workman directly without reference being made, it is directed that the Labour court shall not proceed further with matter until further order.

तथा उक्त मामले में दिनांक 22.05.2024 को उक्त स्थगन आदेश के संबंध में यह आदेश दिया गया कि" Application for vacating stay order is rejected. Stay order is made absolute."

7. हस्तगत क्लेम भी प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष बिना किसी सक्षम अधिसूचना (Reference) के पेश किया गया है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा D.B. Special Appeal (Writ) No. 249/2023 Chief Manager, Rajasthan State Road Transport corporation **Vs.** Madan Lal Gurjar & Others. में पारित आदेश दिनांक 08.05.2023 व 22.05.2024 के अनुरूप वर्तमान परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर अधिनिर्णय पारित किया जाना संभव नहीं है। यह स्वीकृत स्थिति है कि धारा 2-A(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, में वर्ष 2010 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई तथा भारत सरकार ने निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम, 2010 को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जो दिनांक 09.05.2016 से प्रभावी हो चुका है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई स्पष्ट आदेश/निर्देश इस सम्बध में होने के पश्चात् ही इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा।

8. वर्तमान प्रक्रम पर प्रार्थी श्रमिक के प्रकरण/स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम को इस निर्देश के साथ अस्थाई तौर निर्णित किए जाने का आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी उक्त D.B. Special Appeal (Writ) No. 249/2023 के निस्तारित होने पर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के

अधीन उत्पन्न स्थिति के अनुरूप अथवा आगामी आदेश प्राप्त होने पर/श्रम विभाग की अधिसूचना (Reference) प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

9. हस्तगत प्रकरण उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाकर नम्बर से कम किया जाए। पत्रावली पर लाल स्याही से यह नोट लगाया जाए कि प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण होने तक पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जाए।

(विरेन्द्र कुमार जसूजा)

10. आदेश आज **दिनांक 17.07.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विरेन्द्र कुमार जसूजा)